हिन्दुस्तान 04
पटना • शनिवार • 25 अगस्त 2018

रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली के गठन को मिली मंजूरी

रेरा में निबंधन बिना नहीं बिकेंगे फ्लैट

140
परियोजनाएं अब तक रेरा में निबंधित हुईं

200
परियोजनाओं का आवेदन आया है रेरा में

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिल्डरों को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में निबंधन नहीं कराना अब महंगा पड़ेगा। उनकी उस परियोजना वाले फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, जिनका निबंधन रेरा में नहीं होगा। फ्लैटों की रजिस्ट्री के समय बिल्डर व डेवलपरों को रेरा का निबंधन नम्बर देना होगा। रेरा के इस प्रस्ताव पर निबंधन विभाग ने पहले ही सहमति जता दी थी। शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की मुहर भी इस पर लग गई।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली के गठन पर मुहर लग गई। इसके गठन के साथ ही अनिबंधित परियोजनाओं के फ्लैटों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। खास बात यह है कि रेरा में निबंधन किसी बिल्डर का नहीं उसकी परियोजना को होगा। यानी किसी बिल्डर की दो जगह परियोजना चल रही है तो उसे दोनों के लिए अलग-अलग निबंधन कराना होगा। इसी के साथ ऐसे भूखंडों की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, जिन्हें कोई एजेंसी विकसित कर बेच रही है और उसका रकबा पांच सौ वर्गमीटर से ज्यादा है। लेकिन अगर कोई किसान या अन्य जमीन मालिक अपनी जमीन खुद बेचना चाहता है तो उसपर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पहले से फ्लैट खरीदा है और उसे किसी दूसरे के हाथ बेचना चाहता है तो उसके लिए भी कोई रोक नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से फ्लैट खरीदने वालों के हितों की रक्षा होगी।

देखें पेज 09

पुरानी योजना के निबंधन पर देना होगा 4 लाख फाइन

इस फैसले के बाद राज्य में बिल्डरों को निबंधन कराना ही होगा। लेकिन अब उन्हें पुरानी योजना के निबंधन के लिए चार लाख बतौर फाइन देना होगा। नई परियोजनाओं का निबंधन तो चलता रहेगा। अब तक 140 परियोजनाओं का निबंधन हुआ है। इसके अलावा 200 बिल्डरों ने अपनी परियोजनाओं के निबंधन के लिए आवेदन किया है। बिना निबंधन के क्रेता को आमंत्रित करने व फ्लैट बेचने के आरोप में लगभग दो सौ बिल्डरों को रेरा ने नोटिस भी दिया है।

> जो लोग रेरा से निबंधित परियोजना से फ्लैट खरीदेगा उसके हित की रक्षा रेरा करेगी। बिल्डर को हर हाल में समय पर निर्माण करना होगा। साथ ही अधिक पैसा भी बिल्डर खरीदार से नहीं ले सकेंगे। जो भी राशि वह लेंगे उसका हिसाब रेरा को देना होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि किसी क्रेता से पैसा ले लिया और परियोजना शुरू ही नहीं की। बिल्डर को उतना ही पैसा मिलेगा जितना वह निर्माण करेगा। इसके अलावा उन्हें खाते का भी हिसाब देना होगा।
> -अफजल अमानुल्लाह, चेयरमैन, रेरा